राँची समाहरणालय,राँची

(बाल संरक्षण शाखा)

आवश्यक सूचना

समेकित बाल संरक्षण सेवाएँ योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत जिले में किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्यवन किया जा रहा है। समेकित बाल संरक्षण सेवाएँ योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक एवं अहर्ताधारी व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है:–

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या	उम्र	मासिक परिलब्धि	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव
1	सामाजिक कार्यकर्त्ता (महिला)	01	30–45 वर्ष	रू० 14,000/–	सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/ समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से MBA/PGDBA/PGDBM/PGDRD अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल कल्याण/ बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
2	परामर्शदाता	01	30–45 वर्ष	रू० 14,000/–	सामाजिक कार्य/मनोविज्ञान/ समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री। किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से MBA/PGDBA/PGDBM/PGDRD अतिरिक्त योग्यता होगी।	बाल कल्याण/ बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
3	आँकड़ा विश्लेषक	01	30–45 वर्ष	रू० 14,000/–	समाज कार्य/समाज शास्त्र एन्थ्रोपोलॉजी में स्नातक। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम०कॉम०/एम०सी०ए० अतिरिक्त योग्यता होगी।	संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।
	कुल–03 पद					

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना संख्या 05/म०बा०/ICPS–नियु० नियमा०–575/2015–1835 दिनांक 20/07/2016 के आलोक में जिला स्तरीय संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्ते निम्नलिखित है:–

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 14/स्थानीयता नीति–14 01/2015 का० 229/राँची, दिनांक 19/01/2022 के आलोक में प्रकाशित नियुक्ति विज्ञापन में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी ही पात्र होगें।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 15 नीति–नि०–07–05/2021 का० 3842/राँची, दिनांक– 10/08/2021 के आलोक में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षण्कि संस्थानं से मैट्रिक या 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3. झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

4. उल्लेखित सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार/विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

5. प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जाएगी। तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही उनको कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

6. आवेदक किसी भी स्थिति में पदों के लिए दावा पेश नहीं कर सकते हैं।

7. संविदा के आधार पर नियुक्ति के नियम–11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

8. आवश्यक निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले आवेदकों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. आवश्यकता अनुसार पद बढ़ाए अथवा घटाए जा सकते हैं।

10. आवेदकों द्वारा आवेदित पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, अतिरिक्त योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत उनके संबंध में चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

11. उम्र सीमा की गणना **01.08.2022** के अनुसार की जाएगी ।

<u>आवेदन की प्रक्रियाः–</u>

12. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक– 15/10/2022 होगी। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. आवेदकों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से स्वीकार किया जाएगा।

14. यदि कोई आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग–अलग पदों से संबंधित आवेदन करना अनिवार्य होगा।

15. आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

<u>आवेदन करने का पता :–</u> कार्यालय, जिला बाल संरक्षण इकाई, राँची समाहरणालय भवन, ब्लाक (B) कमरा संख्या–111, पिन कोड– 834001 राँची है।

नोटः– आवेदन हेतु प्रपत्र एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी ranchi.nic.in पर देखी जा सकती है।

उपायुक्त
राँची।

ज्ञापांक – 718/बा०सं०, राँची/दिनांक – 23/09/2022

प्रतिलिपि :–जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त सूचना को राँची जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराया जाए।

उपायुक्त
राँची।

APPLICATION FORM FOR RECRUITMENT UNDER INTERGRATED CHILD PROTECTION SCHEME DISTRICT-RANCHI

1 Application for the post of : --

2 Name of the Applicant : --

3 Father's/mother's/Husband's Name : --

4 Date of Birth (DD/MM/YY) : --

5 Sex (Please tick): Male ☐ Female ☐

6 Mobile No: --

7 Email ID: ---

8 Nationality ---

9 Marital Status : ---

10 Category (please tick): ST ☐ SC ☐ OBC ☐ GENERAL ☐

11 Address for communication with pin code : --

----

12 City /Town : ---

13 Pin code : --

14 State: --

15 Permanent Address for with pin code : --

----

16 Educational Qualification

Examination passed	Name of Board/University	Year of passing	Percentage of Marks	Grade/Division

17 Professional any other Qualification :

Examination passed	Name of Board/University	Year of passing	Percentage of Marks	Grade/Division

18 Works Experience:

Sl. No	Name of the Organization	From	To	No. of Years	Nature of work

19 Whether presently serving in any Government/ Undertaking / organization --------------------

----

----

20 Enclosure: Photo copy of Document/certificate related to Educational Qualification, Professional/ other Qualification, Age, work Experience, Caste certificate, Residential Certificate , any Photo Identity card (Aadhar, Driving License , PAN etc .)

Declaration

I Certify that above mentioned information are true and if found to be false, District Child protection Unit, Ranchi may cancel my candidature at any stage of selection process at It's sole discretion .

Date :
Place :

(Signature of the candidate)